## Order Sheet [Contd] \_Case No 123/2017 बी.ए

	Case NO 123	5/ 2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17-04-17	राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोभी पवन उर्फ अजयसिंह अभिरक्षा से पेश सहित अधिवक्ता श्री अवधिवहारी पारासर उपस्थित।  जिला अमिलेखागार मिण्ड से मूल अमिलेख प्राप्त नहीं। प्रकरण में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पर उभय पक्षों को सुना गया।  आवेदक / आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पाराशर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा विरोधियों की झूढी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक व उसके परिवार के विरुद्ध झूढा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबिक उक्त अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। घटना में मृतक गजेन्द्र तोमर आपराधिक प्रवृत्ति का था उसकी कई लोगों से रंजिश थी। आवेदक घटना के पूर्व से ग्राम गढी चटोला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर रास्थान में अपने परिवार के साथ निवास करता था। मात्र जमीनी रंजिश के कारण उसे व उसके परिवार को झूढा फंसाया है। फरियादी द्वारा घटना घर के अंदर की होना बताई है, जबिक घर के अन्य किसी सदस्य को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। आवेदक करीब एक माह से अभिरक्षा में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित प्रतिमूति पर छोडे जाने का निवेदन किया है।  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।  राज्य की और से अपर लोक केवल पारिवारिक रंजिश के कारण झूढा फंसाया गया है। घटना के समय वह मोके पर नहीं था और उसके न्यायिक निरोध में रहने से उसका परिवार अस्तव्यस्त हो गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संमावना है और इसी आधार पर उसे जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है।  घटना दिनांक 19.10.2012 की होनी दर्शाई गई है। आरोपी लम्बे समय से फरार रहा है और इसी कारण आरोपी के विरुद्ध यह पूरक अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक / अभियुक्त पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी पक्ष के साथ मारपीट करने के आरोप लगाया है। घटना निरंध की मृत्यु हुई है। आरोपी पर लगाए गए गंभीर आरोप, उपलब्ध में में जन्द पर सह मारपी पर लगे के आरोप, उपलब्ध में में सम्र पर सह का आपोप पर पर से जावेदक के आरोप लगाया में	121
	सामाग्री एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर छोडा जाना उचित	

